न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, नगर ऊंटारी (गढ़वा)।

नामांतरण अपील वाद सं. 12/16-17

कउली कुंवर वगैरह ——————> अपीलार्थीगण

बनाम

राजकुमारी देवी वगैरह ——————> प्रत्यर्थीगण

आदेश

26-12-17 अभिलेख अंतिम निस्तार हेतु उपस्थापित। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचल अधिकारी, धुरकी द्वारा नामांतरण वाद सं. 5/16-17 में दिनांक 10.6.2016 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया है अपील आवेदन-पत्र समय सीमा के बाद दायर किया गया है विलम्ब को दूर करने हेतु धारा 5 के तहत आवेदन-पत्र देकर अपील आवेदन-पत्र अंगीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है अपील आवेदन-पत्र पर विद्वान अधिवक्ता को सुना। विलम्ब को दूर करते हुए अपील आवेदन-पत्र अंगीकृत किया गया एवं संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। साथ ही निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख की मांग की गई।

उभय पक्ष उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत किए एवं निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख प्राप्त। तत्पश्चात् अभिलेख की सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि राजस्व ग्राम-सगमा में खाता सं. — प्लॉट सं. — रकबा का विवरण निम्नवत है:—

खाता सं.	प्लॉट सं.	रकबा	मांग सं.	मांगधारी का नाम
5	212/1337	0.16 एकड़	29/1	मतीन महतो पे० जगदेव महतो
	336	1.29 ,,		
	356	0.13 ,,		
	363	0.15 ,,		
	364	0.11 ,,		
		1.84 ,,		
133	212/1814 } 234/1423 }	0.85 ,,	22/1	जगदेव महतो
	61	0.80 ,,		

— लगातार —

खाता सं.	प्लॉट सं.	रकबा	मांग	मांगधारी का नाम
40	608/1339 1340 212 263	0.48 एकड़	93/1	मरखन महतो पे० जगदेव महतो

उपरवर्णित भूमि का मांग अपीलार्थीगण के पूर्वज के नाम से चलता है। उक्त भूमि प्रत्यार्थीगण साजिश के तहत प्रत्यार्थी सं. 4 से निबंधित दस्तावेज सं. 667 दिनांक 11.5.2016 से गोपनीय तरीके से क्रय कर अपने नाम से नामांतरण करा लिया गया है। अपीलार्थीगण या उनके पूर्वज के द्वारा भूमि बिक्री की ही नहीं गई है तो अपीलार्थीगण के नाम से चल रहे मांग से घटा दिया गया। अंचल अधिकारी के द्वारा मांगधारी के वारिसानों को नहीं दी गई। उक्त नामांतरण की कार्रवाई में सर्वप्रथम दखल कब्जा देखकर नामांतरण की कार्रवाई की जाती है। प्रश्नगत भूमि पर आज भी अपीलार्थीगण के दखल - कब्जा है। अंचल अधिकारी ने सिर्फ राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर शिविर में नामांतरण की कार्रवाई कर दी गई। जो सर्वथा अनुचित एवं न्यायसंगत नहीं है। अंचल अधिकारी के द्वारा बिना सूचना दिए मांगधारी का मांग घटाया गया है। जिससे स्पष्ट है कि जिसने भूमि बिक्री की ही नहीं उसके मांग से घटाया गया है। क्रेता एवं विक्रेता मांगधारी के वंशज नहीं है। अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण की कार्रवाई त्रुटिपूर्ण है। जिसे खारिज करते हुए अपील आवेदन-पत्र स्वीकृत की जाए। अपीलार्थी अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित कागजात दाखिल किया है: —

(1)	केवाला सं.	667 दि. 11.5.2016	————	10 फर्द
(2)	,,	417 दि. 24.1.2012	————	6 फर्द
(3)	,,	203 दि. 5.1.1997	————	5 फर्द
(4)	,,	664 दि. 11.5.2016	————	10 फर्द
(5)	,,	731 दि. 19.5.2016	————	9 फर्द
(6)	,,	177 दि. 9.1.1997	————	4 फर्द
(7)	,,	रजिस्टर II जगदेव महतो	————	1 फर्द
(8)	,,	रजिस्टर II मरखन महतो	————	1 फर्द
(9)	,,	मालगुजारी रसीद	————	1 फर्द

प्रत्यार्थी सुनवाई के दौरान अनुपस्थित। तत्पश्चात एकपक्षीय

Scanned with CamScanner

सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क, उपलब्ध कागजात एवं अंचल अधिकारी से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त नामांतरण वाद में भोगधारी के वारिसानों को नोटिस निर्गत नहीं किया गया है और न तो नियमानुसार प्रक्रिया का ही पालन किया गया है।

अतः प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अंचल अधिकारी, धुरकी के नामांतरण वाद सं. 05/16-17 में दिनांक 10.6.2016 को पारित आदेश निरस्त करते हुए अपील आवेदन-पत्र स्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी, धुरकी को भेजें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
नगर उंटारी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
नगर उंटारी।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.03.16 10:57:06 +05:30
Location: 192.168.1.35

Scanned with CamScanner